बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या –04/2023–24

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

पत्रांक–224 खगड़िया, दिनांक –23/02/2024

1. कार्य का विवरण –

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में ऑन लाईन मोड या मनुअल मोड किसी भी मोड में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यार्पणीय केवल ऑन लाईन मोड में भुगतेय रूपया में)	बेल्ट्रान को देय बीड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यार्पणीय केवल ऑन लाईन मोड में भुगतेय रूपया में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	बदलाघाट–नगरपाड़ा तटबंध के कि०मी० 3.60 से 5.00 कि०मी० के मध्य के निकट कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा सं०–211/261/2024)	189.08	3.785	10,000	3,540.00	15.05.2024

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक – 23.02.2024

3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि : दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 11.03.2024 के 3.00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

4. प्री–बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक 09.03.2024 3.00 बजे अपराह्न में, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के कार्यालय में।

5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 11.03.2024 समय 3.00 बजे अपराह्न । (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

6. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 13.03.2024 समय 3.30 बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

7. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायगी (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

8. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर

9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया मो0– 7463889815

विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाईट www.wrd.bih.nic.in / www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है ।

Choudhary
23/02/2024
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया

Scanned with AltaScanner

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या –04/2023–24
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

पत्रांक:–224 खगड़िया, दिनाक :–23/02/2024

1. कार्य का विवरण –

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में, ऑन लाईन मोड या मेनुअल मोड किसी भी मोड में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यार्पणीय केवल ऑन लाईन मोड में भुगतेय रूपया में)	बेल्ट्रान को देय बीड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यार्पणीय केवल ऑन लाईन मोड में भुगतेय रूपया में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	बदलाघाट–नगरपाड़ा तटबंध के कि0मी0 3.00 से 5.00 कि0मी0 के गलपा के निकट कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा सं0–211/201/2024)	189.08	3.785	10,000	3,540.00	15.05.2024

2.	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	:	दिनांक – **23.02.2024**
3.	निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि	:	दिनांक **05.03.2024** से दिनांक **11.03.2024** के **3.00** बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4.	प्री–बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि	:	दिनांक–**09.03.2024 3.00** बजे अपराह्न में, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर ।
5	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक **11.03.2024** समय **3.00** बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय		दिनांक **13.03.2024** समय **3.30** बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	:	सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8	निविदा खोलने का स्थान	:	www.eproc2.bihar.gov.in पर
9	निविदा की वैधता अवधि	:	120 दिन
10	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल–2, खगड़िया मो0– 7463889815

11 विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

12 निविदा में भाग लेने वाले संवेदक जल संसाधन विभाग, बिहार के समुचित श्रेणी में निबंधित होना अनिवार्य।

13 ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा ।

Scanned with AltaScanner

14 ई– निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

15 (क) E-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) E-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।

online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

Physical mode/ Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 20.08.2020 के आलोक में) जो बिड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए हो कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल–2, खगड़िया, के पक्ष में निर्गत हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इसकी मूल प्रति निविदा कागजात के साथ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल–2, खगड़िया/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, खगड़िया/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सारण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के कार्यालय में दिनांक **13.03.2024** को **3.00** बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only EMD may be paid either through online or offline mode"

(ङ) Eproc2 पोर्टल पर निविदा हेतु विभागीय पत्रांक– 385 दिनांक– 20.08.2020 एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक– 752 दिनांक– 21.08.2020 द्वारा निर्गत संकल्प–सह–ज्ञापांक– पूर्णतः लागू होगा।

16 संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र/शपथ–पत्र, जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

17 किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18 संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19 संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

20 इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

21 संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौती विपत्र से की जाएगी।

Scanned with AltaScanner

22 जल संसाधन विभाग के विभागीय निर्देशानुसार

क. बाढ़ अवधि 2024 में कार्यों के कार्यस्थल पर कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी ।

ख. बाढ़ अवधि 2024 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रीयों यथा बालू, फिल्टर मटेरियल, (ई०सी० बैग, जियो बैग, मेगा जियो बैग इत्यादि) में बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी। निविदा समर्पित करते समय संवेदक द्वारा उक्त **कंडिका क एवं ख** के कार्य को करने पर सहमति संबंधी **शपथ–पत्र** समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा ।

23 रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से समय–समय पर खनन एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार एवं जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन प्रतिपत्रों के आलोक में देय होगी।

24 विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई–टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन पटना (0612–2235241) एवं सहायता कक्ष (Help Desk) से दूरभाष सख्या– +91 7605084942 एवं 18005726571 (Toll free) पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

25 पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) कि अधिसूचना संख्या –449(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender), पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिणाम विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए (Additional Performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है ।

26 निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 447(s) दिनांक 16.01.2020., letter no. 448(s) दिनांक 16.01.2020 & letter no. 449(s) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।

27 कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है । तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।

28 जल संसाधन विभाग का पत्रांक– 686 दिनांक 19.08.2014 (इस सदर्भ में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–6156 (एस) दिनांक 09.07.2014 अनुलग्नक सहित) लागू होगा एवं इसमें प्रावधानित निम्नलिखित शपथ–पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा:–

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishments as well as black listing."

29 मजदूरी अनुज्ञप्ति (Labour License) के आलोक में श्रम संसाधन विभाग का पत्रांक– 881 दिनांक– 08.03.2016 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

30 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

31 **तकनीकी निविदा पूरी करने की न्यूनतम अहर्त्ता–**

(i) निविदादाता को बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (क) के अन्तर्गत स्थानीय अभिकत्ता श्रेणी–4 में खगड़िया जिला के लिए निबंधित होना चाहिए। तत्संबंधी निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ii) प्रर्याप्त अग्रधन की राशि जमा होनी चाहिए।

(iii) शपथ पत्र क्रमांक 22 एवं 28 के अनुरूप होना चाहिए।

(iv) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with AltaScanner

32 यह कार्य आपदा से संबंधित कार्य है। उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु अवधि सीमित रहने के कारण एवं कार्यों को ससमय पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त कार्यों से संबंधित यदि कोई वित्तीय बोली (Financial Bid) एकल होता है, तो पथ निर्माण विभाग के पत्रांक– 3162(S) दिनांक 09.05.2016 के आलोक में एकल निविदा को निस्तार करने हेतु विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

33 संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

34 तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

35 जल संसाधन विभाग का पत्रांक– 686 दिनांक–19.08.2014 पत्रांक– 200, 201, 202 दिनांक– 14.03.2016 एवं पत्रांक– 274 दिनांक– 18.04.2016 एवं विभागीय पत्रांक– 730 दिनांक– 17.10.2019 में दिये गये शर्तों का एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 01/PMC/विविध/161/2023-206 Dt. 20.03.2023 में निहित निदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा। जिस संवेदक को कार्य आवंटित होगा उन्हें CBuD App (Call Before U dig App) का उपयोग करना होगा।

36 जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1/P.M.C/विविध/879/2012–पार्ट–II,–124, दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा एवं तद्नुरूप चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

37 CWJC No-9941/ 2022 बिहार संवेदक संघ बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का पारित न्यायादेश दिनांक 06.07.2023 एवं विभागीय आदेश संख्या–01/पी0एम0सी0/न्यायालय/01/2022–536 दिनांक–18.07.2023 के निदेश के आलोक में उपरोक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.07.2023 पारित न्यायदेश का अनुपालन इस निविदा में किया जायेगा।

38 जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1/P.M.C/विविध/879/2012–पार्ट–II,–88, दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

Choudhary
23/02/2024
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया

Scanned with AltaScanner